न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/228/2016

उनवान

1. देवी लाल पुत्र कुमा चमार निवासी बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 73/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.4.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 783 में से 2 बीघा भूमि दिनांक 2 जून 1989 को राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से वादी को आवंटित की जाकर मौके पर वादी को आवंटन शुदा आराजियात का कब्जा सुपुर्द किया गया और आवंटन के दिनांक से ही वादी उक्त आवंटनशुदा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और काफी श्रम व रूपये खर्च कर भूमि को उपजाऊ एवं काबिल काश्त बनाया है। जिसके पडौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व :– बावडी जाने का रास्ता
पश्चिम :– आराजी संख्या 783 का शेष भाग
उत्तर :– सरकारी जमीन
दक्षिणः– आम रास्ता व उसके आगे नारायण पुत्र धुला गाडरी की आराजी

वादी को आवंटित आराजी के अलग से नम्बर कायम न कर उक्त आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम भूमि दर्ज है। वादी ने प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कई बार निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि को रेकार्ड में बिलानाम से हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराई जावे और नक्शे में अंकन कराया जावे । लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी को वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज नहीं किया । दिनांक 3 मार्च 2008 को जरिये अधिवक्ता एक पंजीकृत सूचना पत्र भी प्रेषित किया उसके बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त आवंटित भूमि को न तो वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज की गई है और न ही नक्शे में अंकित की गई है। जबकि वादी नियमानुसार वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी संख्या 783 में से 2 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड से कम की जाकर वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराई जावे व नवीन नम्बर कायम कर नक्शे में अंकित करया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई थी । चूंकि अपीलार्थी तारीख पेशी दिनांक 2.6.2016 को लोक अदालत में उपस्थित हुआ तो उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये व आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.7.2016 नियत की गई । अपीलार्थी दिनांक 26.7.2016 को पेशी हेतु अधीनस्थ न्यायालय में गया तो पता चला कि प्रकरण में दिनांक 2.6.2016 को ही निर्णय पारित कर दिया गया । तब जाकर नकल हेतु आवेदन किया व नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के लिए प्रस्तुत कर स्पष्ट अभिकथन किया कि ग्राम बावडी स्थित आराजी नम्बर 783 में से 02 बीघा भूमि दिनांक 2.6.1989 को अपीलार्थी को भूमिहीन काश्तकार होने से विधिवत आवंटित की गई एवं कब्जा सुपुर्द किया गया । आवंटन के बाद से वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी को काबिलकाश्त बनाने में काफी श्रम व लाखों रूपये खर्च किये है। उसके बावजूद वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज नहीं की गई । वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिलानाम दर्ज कर रखा है। वादग्रस्त आराजी के पडौस भी अपीलार्थी/वादी ने वाद पत्र में दर्शाये हैं। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र का विशिष्ट खण्डन नहीं किया जो एक तरह से वाद पत्र की स्वीकृति था । अपीलार्थी द्वारा एक कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 2.6.2016 को ही पटवार हल्का ने कैम्प बावडी में ही प्रस्तुत की । जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवंटित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा है सिपुर्दगीनामा दिनांक 30.9.1995 को बनाया गया है । कब्जेसुदा भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारो की आपसी सहमति से किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में पटवार हल्का ने वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थी/वादी के नाम दर्ज करने में कोई एतराज नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में सहमति के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिये था इसके विपरीत अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकत करना असत्यहै कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलार्थी का नहीं होने से उसे गैरखातेदारी प्रदान नहीं की गई। जबकि वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी का होने का अभिकथन अंकित है। मौका रिपोर्ट दिनांक 2.6. 2016 में भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा आवंटन से ही अपीलार्थी/वादी का होना अभिलिखत किया गया है। अपीलार्थी/वादी ने अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत किये गये हैं उसका कोई खण्डन प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन भी नहीं किया गया है। राजस्व रेकार्ड व मौखिक साक्ष्य से वादी का वाद पूर्णतया साबित होने के उपरान्त भी खारिज करने में विधिक भूल की गई है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 783 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा संवत 2041 से 2044 में थी जिसमें से 1 बीघा भूमि आबादी में दर्ज कर दी गई तथा 8–10 बीघा आराजियात आवंटित कर दी गई। जिसका इन्द्राज तत्कालीन समय में ही हो गया मात्र अपीलार्थी को आवंटित आराजी का राजस्व रेकार्ड में अंकन सहवन एवं लापरवाही के कारण नहीं हो सका । इस प्रकार आराजी नम्बर 783 का रकबा संवत 2061 से 2064कें राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजियात में से 2 बीघा आराजी अपीलार्थी अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त 27 वर्ष की अवधि के दौरान यदि वादग्रस्त आराजी आबादी के नजदीक आ गई है तो इसका प्रभाव 27 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन पर नहीं पडता है क्योंकि वक्त आवंटन वादग्रस्त भूमि के पास आबादी भूमि नहीं थी। अपीलार्थी के हक में किये गये आवंटन आदेश को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 आज भी प्रभावी है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त अपीलार्थी का ही चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि वादग्रस्त आराजी जिस पर कब्जा अपीलार्थी/वादी का होना बताया है किन्तु भूमि आबादी के नजदीक है ऐसी स्थिति में वादी किसी प्रकार की कोई दाद हासिल नहीं कर सकता है। बडा हास्यास्पद लगता है। अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ने राजस्व रेकार्ड, मौके की स्थिति से विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी जब नियत सुनवाई तिथि दिनिांक 26.7.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में गया तो पता चला कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 2.6.2016 को कर दिया गया है। दिनांक 2.6.2016 को अपीलार्थी के हस्ताक्षर न्यायालय में उपस्थिति के करवाये गये थे । अपीलार्थी को किसी प्रकार का निर्णय किया जाना नहीं बताया गया । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी कोई बहस नहीं की । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6. 2016 को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के आवंटन के पश्चात अपीलार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर काश्त किये जाने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आवंटन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । जिसके साथ संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से मौजा बावडी की आराजी नम्बर 783 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना एवं उसके पश्चात सिपुर्दगीनामा दिनांक 30.9. 95 के द्वारा आवंटी को आवंटित रकबा 2 बीघा का कब्जा सुपुर्द किया जाना बताया गया है।

13. अपीलार्थी का कथन है कि आवंटन के समय से ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा था एवं वादग्रस्त आराजी को काबिल काश्त बनाने में अपीलार्थी ने काफी श्रम व लाखों रूपये खर्च किये हैं। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के पश्चात से लगातार कब्जाकाश्त रहा हो इस बाबत अपीलार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी खतौनी, संवत 2041 से 2044 में वादग्रस्त आराजी की किस्म बंजड अंकित है। उसके उपरान्त की संवत 2045 से 2049 की जमाबंदी खतौनी का अवलोकन किया गया । जिसमें इन्तकाल नम्बर 414 से आराजी नम्बर 783 में से 1 बीघा भूमि को आबादी में दर्ज करने की स्वीकृति का अंकन है। उस समय भी आराजी नम्बर 783 की किस्म बंजड अंकित है। प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत 2049 से 2052 में भी वादग्रस्त आराजी की किस्म बंजड अंकित है एवं प्रदर्श 8 में जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में भी आराजी नम्बर 783 रकबा 3 बीघा 06 की किस्म बंजड अंकित है। । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी को आवंटन के बाद आवंटी के नाम गैर खातेदारी से अंकित नहीं किया गया और भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम चली आ रही है। तथा राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कार्मिकगण की गलती से राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं हुआ है परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्णय कर यह माना है कि सुपुर्दगीनामा के उपरान्त भी नक्शें में तरमीम नहीं करने व गैर खातेदारी से दर्ज नहीं करने का कारण वादी का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं होना है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी माना है कि यदि आवंटन अथवा सुपुर्दगी के बाद भी कब्जा होता तो अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती । अपीलार्थी ने उसके विरूद्ध कोई नोटिस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जारी होने का कथन नहीं किया है एवं न ही उसके द्वारा ऐसा कोई नोटिस ही प्रस्तुत किया है। जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त पाया जाना प्रतीत होता है।

14. आवंटन नियमों के परीक्षण से स्पष्ट है कि आवंटन नियमों के तहत अपीलार्थी को आवंटन शर्तो की पालना में आवंटित भूमि पर काश्त करना अनिवार्य था परन्तु अपीलार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना में आवंटित भूमि पर काश्त की हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहॉ तक पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 2.6.02016 का प्रश्न है उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन होना एवं दिनांक 30.9.95 को कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द किया जाना अंकित किया है। पेरा नम्बर 3 में आवंटिति देबी पिता कूका चमार साकिन देह बावडी का आराजी नम्बर 783 में से रकबा 2 बीघा भूमि पर वर्तमान में काबिज होकर कब्जाकाश्त होना बताया है एवं साथ ही पेरा नम्बर 5 में मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही होना तथा पेरा नम्बर 6 में आवटिति का कब्जा होना व उसके नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। परन्तु राजस्व लोक अदालत कैम्प

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बावडी के दिन तैयार करवाई गई रिपोर्ट में आवंटन अथवा सुपुर्दगी के बाद के कब्जेकाश्त अथवा कब्जे की समयावधि बाबत कोई अंकन नहीं पाया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष के विरूद्ध विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा मात्र मौखिक कथन किये गये हैं,परन्तु समुचित दस्तावेजी प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी लिखा गया है कि पटवारी हल्का ने तारीख दिनांक 2.6.2016 को वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त होने का तथ्य अंकित किया है । इससे यह तथ्य प्रमाणित नही होता है कि आवंटन के पश्चात आवंटी ने वादग्रस्त भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना में काश्त की हो अथवा वादग्रस्त भूमि को काबिल काश्त बनाया हो । यदि अपीलार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त की जाती तो निश्चित ही भूमि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत विधिवत कार्यवाही का रेकार्ड प्रस्तुत किया जाता।

16. अपीलार्थी/आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना में सुपुर्दगी उपरान्त काश्त किये जाने बाबत किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । यदि अपीलार्थी का सुपुर्दगी दिनांक से ही आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त होता तो निश्चय ही अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी को स्वयं के नाम कब्जा सुपुर्दगी के उपरान्त अपने नाम गैर खातेदारी से दर्ज करवाने का प्रयास किया जाता। तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता । अपीलार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सिद्ध होता हो कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने का कोई उपाय किया हो। सुपुर्दगीनामे के साथ नक्शा भी संलग्न किया गया है जिससे ग्राम की आबादी के बटा नम्बर का अंकन है, परन्तु सुपुर्दगीनामें के समय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में कोई अंकन नहीं होना व नक्शे में कोई तरमीम नहीं किया जाना रेकार्ड से स्पष्ट है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विस्तृत विवेचन उपरान्त अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त नहीं होने से राजस्व रेकार्ड व नक्शे में अंकन नहीं होना माना है, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट कोई ठोस साक्ष्य, दलीज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

17. कैम्प कोर्ट के दौरान मंगाई गई रिपोर्ट व सुपुर्दगीनामे के आधार पर ही अपीलाण्ट खातेदारी उद्घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती चाहते हैं, परन्तु घोषणात्मक वाद में वादी को स्वयं को खातेदार उद्घोषित कराने के पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। सुपुर्दगीनामे की दिनांक से लेकर निर्णय दिनांक तक काबिजकाश्त रहने, बंजड भूमि को काबिलकाश्त बनाने अथवा सद्भाविक काश्तकार होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत अथवा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस की प्रतिलिपि के बिना अपीलाण्ट यह साबित करने में असफल रहे हैं कि आवंटन शर्तो की पालना कर वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व कार्मिकगण द्वारा सुपुर्दगी आदेश व नक्शा बनाने के समय पर राजस्व रेकार्ड में आवंटन आदेश का अंकन व तरमीम का कार्य नहीं किया जाना तथा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किया जाने बाबत भी अपीलाण्ट द्वारा स्थित स्पष्ट नहीं की गई है। अतः मात्र सुपुर्दगीनामा दिनांक 30.9.95 व कैम्प के दौरान अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा ।

18. अपीलार्थी का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । जबकि निर्णय दिनांक 2.6.2016 को स्वयं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुआ था। उपस्थित होने के कारण अपीलार्थी के हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी की बहस सुनने का तथ्य अंकित किया है जिसमें वादी ने अंकित तथ्यों, दस्तावेजों व शहादत के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 28.1.2014 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया था। जिस पर दिनांक 2.6.2016 को पटवारी की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है।

19. अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

21. निर्णय आज दिनांक 26.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/4/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/228/2016

उनवान

1. देवी लाल पुत्र कुमा चमार निवासी बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 73/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/11/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 26.4.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.4.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.4.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस